संख्या–3119 / सेक–2–पॉच–2011–6(68) / 09

प्रेषक,

मृत्युंजय कुमार नारायण
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका
जिला संयुक्त / पुरूष / महिला चिकित्सालय,
उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–2

लखनऊ :: दिनांक 14 जून, 2011

विषयः–मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (महिला / पुरूष / संयुक्त) तथा जिला क्षय रोग अधिकारी के पद पर तैनाती के संबंध में नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न नीति के अनुसार उपर्युक्त पदों पर तैनाती की जायेगीः–

(1) प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल–4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) में कार्यरत चिकित्सक मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पुरूष, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, महिला और जिला क्षय रोग अधिकारी के पद पर तैनाती के लिए अर्ह होंगें।

(2) उक्त पदों पर तैनाती का मानक ज्येष्ठता / श्रेष्ठता, उपयुक्तता के साथ–साथ तैनात होने वाले चिकित्सक की विगत वर्षों की गोपनीय वार्षिक प्रविष्टियों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(3) मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / जिला क्षय रोग अधिकारी के पदों पर तैनाती करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधिष्ठान के अन्तर्गत उक्त पद पर तैनात चिकित्सक से कोई वरिष्ठ चिकित्सक उनके अधीन कार्यरत न हो।

(4) लेवल–4 के पद पर कार्यरत सभी चिकित्सकों की गोपनीय वार्षिक प्रविष्टियां न्यूनतम लेवल–5 अर्थात अपर निदेशक स्तर या उससे उच्च अधिकारी द्वारा लिखी जायेगी।

(5) जनहित में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा उक्त नीति से विचलन के आदेश दिये जा सकते हैं।

2– उपर्युक्त नीति के कियान्वयन हेतु लेवल–4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के चिकित्सकों से उपर्युक्त प्रशासनिक पदों पर तैनाती हेतु इच्छुकता के संबंध में संलग्न विकल्प पत्र पर विकल्प मांगा जायेगा, जो 01 जुलाई से अगले वर्ष के 30 जून तक वैद्य रहेगा।

–2–

3– उपर्युक्त नीति में रिट याचिका संख्या–42842/09 डा0 लल्लन प्रसाद बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.11 में दिये निर्देशों का समावेश कर लिया गया है।

4– कृपया उपर्युक्तानुसार प्रस्तर–2 हेतु इस वर्ष 2011–12 हेतु विकल्प प्राप्त कर जनपदवार/चिकित्सालयवार संबंधित चिकित्सक के वरिष्ठता क्रमांक सहित संकलित सूचना संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से चिकित्सा अनुभाग–2 को दिनांक 25.06.11 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5– उक्तानुसार दिया गया विकल्प दिनांक 30.06.12 तक अपरिवर्तनीय होगा। विकल्प न देने वाले चिकित्सकों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक पद पर तैनाती हेतु विकल्प नहीं देने पर यह संभव है कि उनके अधिष्ठान में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के प्रद पर विकल्प प्राप्त चिकित्सक की तैनाती 30.06.12 तक हो सकती है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

14.6.11

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
सचिव।

संख्या–3119 (1)/सेक–2–पांच–11 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ एवं निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ तथा समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्तानुसार वांछित विकल्प दिनांक 25.06.11 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(ओम प्रकाश)
उप सचिव।